भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2567

14 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु पीएलआई योजना

2567. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऑटो सेक्टर हेतु पीएलआई योजना नए निवेश और वृद्धिशील उत्पादन लाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज" को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु पीएलआई योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) :जी हां। सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता को मज़बूत करने हेतु भारत में पांच वर्ष की अवधि के दौरान 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंज़ूरी दी है।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य-श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने का प्रस्ताव कि या गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में लागत अ धिकता से उबरना, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था कायम करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद के क्षेत्रों में सशक्त आपूर्ति-श्रृंखला निर्मित करना शामिल हैं। इससे रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। इस स्कीम से ऑटोमोबिल उद्योग को उच्चतर मूल्यवर्धित उत्पादों की मूल्य-श्रृंखला में ऊपर बढ़ने में मदद मिलेगी। अनुमान है कि इस स्कीम से 42,500 करोड़ रुपये मूल्य का बड़ा निवेश आकर्षित होगा और पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2,31,500 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा।

(ग): जी, हां। सरकार ने देश में उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन -संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है। स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रूपये है। इस स्कीम में , देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण (50 गीगावाट घंटा) व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम में प्रति किलोवाट घंटा लागू सब्सिडी और उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन -संबद्ध सब्सिडी का प्रस्ताव कि या गया है। इस स्कीम से एसीसी बैटरी के लिए आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।

(घ): ऑनलाइन आवेदन जमा करने सहित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग हेतु पीएलआई स्कीम के प्रशासन के लिए यूआरएल https://pliauto.in पर ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। सभी ऑनलाइन आवेदनों की जांच और मूल्यांकन का कार्य परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) द्वारा किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय मूलभूत पात्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर आवेदकों को अनुमोदन प्रदान करेगा।

*****